

#### असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2018/चैत्र 20, 1940 No. 227] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2018/CHAITRA 20, 1940

# पोत परिवहन मंत्रालय (पीएचआरडी डिवीजन) अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 354(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (6) के साथपठित उपधारा (1) खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नतालिका के कम सं. 1—10 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को 01.04.2018 से 31.03.2020 तक दो वर्ष की अविध के लिए दीनदयाल पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :—

1	मुख्य अधिकारी, समुद्री वाणिज्यिक विभाग, कंडला	समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधि
2	कमिशनर, सीमा शुल्क, कंडला	सीमाशुल्क विभाग के प्रतिनिधि
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उपाध्यक्ष, गुजरात	गुजरात राज्य सरकार के प्रतिनिधि
	मेरीटाइमबोर्ड	
4	श्री सतिंदर पाल सिंह, संयुक्त सचिव, पोत परिवहन	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि
	मंत्रालय	
5	प्रभारी नौसेना अधिकारी, गुजरात	रक्षा सेवाओं (नौसेना) के प्रतिनिधि
6	सेना प्रमुख, तटरक्षक, क्षेत्रीय मुख्यालय	तटरक्षक के प्रतिनिधि
	(उत्तर–पश्चिम),गांधीनगर	
7	मुख्य भाड़ा परिवहन प्रबंधक, पश्चिम रेलवे	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि
8	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमी जोन,	, ,
	भोपाल	प्रतिनिधि
9	श्री एल. सत्यनारायण, अध्यक्ष परिवहन एवं डॉक	पत्तन पर नियोजित श्रम के प्रतिनिधि
	वर्कर्स यूनियन	

2101 GI/2018 (1)

	- 4 4 4	7	   	पत्तन पर नियोजित श्रम के प्रतिनिधि
10	। श्रा एम एल विलाना म	नदास्मान्त्रत पारतदन	एत दाक	. पत्तन पर निशास्त्रत श्रम क पातानाध
10	711 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ופולוושא, אולאפיו	34 014	THE THEORY OF THE PROPERTY OF
	विकेसे युनियन			
	। वक्स यानयन			
	ו דו על ווידי			

2. उक्त नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

[फा. सं. एलबी—11013 / 10 / 2017—एल] कोनथांग तऊथांग, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD Division)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 9<sup>th</sup> April, 2018

**G.S.R. 354(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with subsection (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against number 1-10 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of the Deendayal Port Trust for a period of 2 years from 01.04.2018 to 31.03.2020:-

1.	Principal Officer, Mercantile Marine Department, Kandla	Representing Mercantile Marine Department
2.	Commissioner of Customs, Kandla	Representing Department of Customs
3.	the Chief Executive Officer and Vice-Chairman, Gujarat Maritime Board	Representing State Government of Gujarat
4.	Shri Satinder Pal Singh, Joint Secretary, Ministry of Shipping	Representing Ministry of Shipping
5.	Naval Officer-in-Charge, Gujarat	Representing Defence Services (Navy)
6.	Chief of Staff, Regional Headquarters (N-W), Gandhinagar	Representing Coast Guard
7.	Chief Freight Transportation Manager, WR	Representing Indian Railways
8.	Regional Officer, Regional Office, Western Zone, Bhopal	Representing M/o Environment, Forest & Climate Change
9.	Shri L. Satyanarayan, President, Transport & Dock Workers' Union	Representative of Labour Employed at the Port
10.	Shri M.L. Bellani, General Secretary, Transport & Dock Workers' Union	Representative Labour Employed at the Port

2. The said appointments shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/10/2017-L]

KONTHANG TOUTHANG, Jt. Secy.